भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2864
दिनांक 12 अगस्त, 2026 को उत्तर देने के लिए

'मिशन शक्ति'

2864. **श्री जी.सी. चन्द्रशेखर:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान 'मिशन शक्ति' के तहत जारी और प्रयुक्त धनराशि और लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे जिलों का ब्यौरा क्या है जहाँ 'वन स्टॉप सेंटर' गैर-कार्यात्मक हैं वहाँ कर्मचारियों की कमी है; और

(ग) इसके लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): सरकार देश में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार ने महिलाओं की शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए जीवन-चक्र निरंतरता के आधार पर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि वे तीव्र और सतत राष्ट्रीय विकास में समान भागीदार बन सकें। यह 'वुमेन लेड डेवेलपमेंट' 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

'मिशन शक्ति' का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों को मजबूत करना है। मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा

और सशक्तीकरण के लिए क्रमशः 'संबल' और 'सामर्थ्य' नामक दो उप-योजनाएं शामिल हैं।

"संबल" उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है। इसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत घटक शामिल हैं।

- महिलाओं के लिए **वन स्टॉप सेंटर** योजना 1 अप्रैल, 2015 से कार्यान्वित की जा रही है। यह देश भर में निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत और तत्काल सहायता व सहयोग प्रदान करती है। अब तक, 1033 वन स्टॉप सेंटरों को प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से देश भर में 991 वन स्टॉप सेंटर कार्यशील हैं। इसकी शुरुआत अर्थात 1 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2026 तक, वन स्टॉप सेंटरों के माध्यम से 15.20 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है। प्रदान की गई सेवाओं में चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनो-सामाजिक परामर्श शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 2023-24 से 2025-26 तक, देश भर में वन स्टॉप सेंटरों के माध्यम से 7.12 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता पहुंचाई गई है। कार्यशील और कार्यशील किए जाने वाले वन स्टॉप सेंटरों का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

- **महिला हेल्पलाइन (181)** आपातकालीन और गैर-आपातकालीन दोनों स्थितियों में महिलाओं की सहायता के लिए 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है। इसकी शुरुआत अर्थात 1 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2026 तक, देश भर में महिला हेल्पलाइन के माध्यम से 1.04 करोड़ से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है। पिछले तीन वर्षों अर्थात 2023-24 से 2025-26 के दौरान देश भर में महिला हेल्पलाइन के माध्यम से 34.96 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता पहुंचाई गई है।

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी):** बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाल लिंग अनुपात, बालिका एवं महिला सशक्तीकरण से संबंधित समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है। इस योजना में विभिन्न हितधारकों को सूचित, प्रभावित, प्रेरित, शामिल करके और सशक्त बनाकर बालिकाओं के प्रति मानसिकता और व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। बीबीबीपी सरकारी एजेंसियों, मीडिया,

नागरिक समाज और बड़े पैमाने पर जनता सहित विभिन्न हितधारकों को एकजुट करके नीतिगत पहल से राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गई है।

- **नारी अदालत-**नारी अदालत योजना ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण मंच प्रदान करती है। इन अदालतों को घरेलू हिंसा और लिंग आधारित अन्य हिंसा से संबंधित छोटे मामलों को पंचायत स्तर पर बातचीत, मध्यस्थता और आपसी सहमति से सुलह के माध्यम से हल करके संकटग्रस्त महिलाओं की सहायता करने का दायित्व सौंपा गया है ताकि उन्हें न्याय मिल सके।

"सामर्थ्य" उप योजना महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन, सखी निवास, पालना और संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) घटक शामिल हैं।

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)-** मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 01.01.2017 से देश भर में (तेलंगाना को छोड़कर) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया गया है। पीएमएमवीवाई केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत पहले बच्चे के लिए 5,000/-रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दी जाती है। पात्र लाभार्थियों को शेष नकद प्रोत्साहन राशि संस्थागत प्रसव के बाद, जननी सुरक्षा योजना के तहत मातृत्व लाभ के लिए स्वीकृत मानदंडों के अनुसार प्राप्त होती है, जिससे औसतन एक महिला को 6,000/- रुपए मिलते हैं। पीएमएमवीवाई के तहत दूसरे बच्चे के लिए भी 6,000/- रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है, बशर्ते दूसरा बच्चा बेटी हो। योजना की शुरुआत (01.01.2017) से लेकर 31.07.2026 तक इस योजना के माध्यम से देश भर में लगभग 4.56 करोड़ महिलाओं को 21,171 करोड़ रुपये की लाभ राशि दी गई है।

- **शक्ति सदन:** व्यापक 'मिशन शक्ति' के तहत, कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए पूर्ववर्ती 'स्वाधार गृह' और दुर्व्यापार से बचाई गई महिलाओं के लिए 'उज्ज्वला' गृह योजनाओं को 01.04.2022 से मिला दिया गया है और अब उन्हें 'शक्ति सदन योजना' के नाम से जाना जाता है। यह दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित संकटपूर्ण स्थितियों में महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत और

पुनर्वास गृह है। इसका उद्देश्य ऐसी कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण तैयार करना है, ताकि वे प्रतिकूल परिस्थितियों से उबर सकें। वर्तमान में, देश भर में 433 शक्ति सदन कार्यशील हैं और योजना की शुरुआत से 30.06.2026 तक 1,46,164 महिलाएं इससे लाभान्वित हो चुकी हैं।

- **सखी निवास:** व्यापक मिशन शक्ति के तहत सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य उन शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहाँ महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत कामकाजी महिलाओं और नौकरी के लिए प्रशिक्षण ले रही महिलाओं के लिए किराए के परिसर में सखी निवास चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सखी निवास के निवासियों के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर का प्रावधान इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 30.06.2026 तक, देश भर में 575 सखी निवास कार्यशील हैं और योजना की शुरुआत से अब तक 2,32,018 महिलाएं इससे लाभान्वित हो चुकी हैं।

- **पालना-**पालना योजना के कार्यान्वयन का उद्देश्य शिशु गृहों (क्रेच) की उपलब्धता का विस्तार करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर जगह महिलाओं को काम करने का अवसर मिले और देखरेख संबंधी जिम्मेदारियों के कारण वे कार्यबल से बाहर न रहें। पालना का लक्ष्य 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए डे-केयर शिशु गृह (क्रेच) की सुविधा प्रदान करना है। 31.07.2026 तक, देश भर में 4172 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच कार्यशील हैं, जिनसे लगभग 43,000 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

- **संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू):** संकल्प: एचईडब्लयू (महिला सशक्तीकरण केंद्र) मिशन शक्ति के सभी घटकों के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई के रूप में कार्य करता है। यह महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के बारे में सूचना और ज्ञान के अभाव को दूर करने के साथ-साथ उन्हें लाभ और अधिकार प्राप्त करने में मार्गदर्शन करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडों सिस्टम) के रूप में कार्य करता है। संकल्प केंद्र बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ समन्वय करके जागरूकता कार्यकलापों, शिविरों और अभियानों का आयोजन करके व्यापक जन-पहुंच और जागरूकता बढ़ाने का काम करता है। अब तक, कुल 35 राज्य संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र और 742 जिला संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र कार्यशील हैं तथा मिशन शक्ति

डैशबोर्ड के शुभारंभ के बाद से महिला सशक्तीकरण केंद्र के तहत 7,75,406 महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान मिशन शक्ति के तहत जारी निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक II** में दिया गया है।

वर्ष में एक बार, कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ योजना के तहत कार्यकलापों की प्रगति की निगरानी करता है और उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति, महिलाओं और बच्चों को सेवाओं की प्रभावी प्रदायगी की समीक्षा करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपनी जरूरतों का आकलन करते हैं और प्रस्तावों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चर्चा के बाद प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड द्वारा मंजूरी दी जाती है।

मंत्रालय ने नियमित प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निरंतर सहयोग के माध्यम से महिला हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर के कर्मियों के क्षमता निर्माण को मजबूत करने के उपाय भी किए हैं। निमहांस, एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी और सी-डैक के सहयोग से क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें मनो-सामाजिक परामर्श, लैंगिक संवेदीकरण, नैतिक कॉल प्रबंधन, केस प्रबंधन, डैशबोर्ड संचालन, रेफरल तंत्र और विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। सी-डैक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षेत्रीय और व्यावहारिक प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, डैशबोर्ड सहायता, समस्या निवारण और एमआईएस/डेटा विश्लेषण सहायता भी प्रदान करता है।

डिजिटल निगरानी को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने योजना की तत्समय निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मिशन शक्ति डैशबोर्ड तैयार किया है। यह डैशबोर्ड जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सहायता प्राप्त लाभार्थियों, प्रदान की गई सेवाओं, बुनियादी ढांचे, कार्यकलापों और सुविधाओं की निगरानी को आसान बनाता है।

अनुलग्नक-I

"मिशन शक्ति" के संबंध में श्री जी.सी. चंद्रशेखर द्वारा पूछे गए दिनांक 12.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2864 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

कार्यशील और कार्यशील किए जाने वाले वनस्टॉप सेंटर का ब्यौरा:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत किए गए ओएससी की संख्या	कार्यशील ओएससी की संख्या	कार्यशील किए जाने वाले ओएससी की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3	3	0
2	आंध्र प्रदेश	37	36	1
3	अरुणाचल प्रदेश	27	25	2
4	असम	36	36	0
5	बिहार	69	62	7
6	चंडीगढ़	1	1	0
7	छत्तीसगढ़	42	42	0
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव	3	3	0
9	दिल्ली	22	11	11
10	गोवा	2	2	0
11	गुजरात	36	36	0
12	हरियाणा	27	22	5
13	हिमाचल प्रदेश	13	13	0
14	जम्मू एवं कश्मीर	23	20	3
15	झारखंड	37	34	3
16	कर्नाटक	44	44	0
17	केरलम	16	14	2
18	लद्दाख	2	2	0
19	लक्षद्वीप	1	1	0
20	मध्य प्रदेश	65	63	2
21	महाराष्ट्र	68	68	0

22	मणिपुर	16	16	0
23	मेघालय	14	13	1
24	मिजोरम	13	13	0
25	नागालैंड	17	17	0
26	ओडिशा	39	37	2
27	पुदुच्चेरी	4	4	0
28	पंजाब	23	23	0
29	राजस्थान	54	52	2
30	सिक्किम	7	7	0
31	तमिलनाडु	59	59	0
32	तेलंगाना	36	36	0
33	त्रिपुरा	10	10	0
34	उत्तर प्रदेश	124	124	0
35	उत्तराखंड	19	18	1
36	पश्चिम बंगाल	24	24	0

<u>अनुलग्नक-II</u>

"मिशन शक्ति" के संबंध में श्री जी.सी. चंद्रशेखर द्वारा पूछे गए दिनांक 12.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2864 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक मिशन शक्ति के तहत जारी की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2023-24	**वित्तीय वर्ष 2024-25**	**वित्तीय वर्ष 2025-26**
1408.64	1793.89	1730.71
